(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
इंतकाल अपील : 147 / 2023
तारीख रजू : 20.09.2023

निर्णय दिनांक : 18.03.2025

उनवान

1. शादीराम पुत्र रामकरण, जाति जाट निवासी ग्राम माजराकाठ, तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड राज.।

– अपीलान्ट

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र बिहारी जाट,
2. जीतराम पुत्र बिहारी जाट निवासीयान ग्राम माजराकाठ, तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज.।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज.।

रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.05.2022 तहसीलदार नीमराना बाबत नामान्तकरण संख्या 398 वाके ग्राम माजराकाठ तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

उपस्थित : श्री हेमन्त शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
श्री योगेश्वर प्रकाश अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस की ओर से।

।। निर्णय ।।

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना द्वारा इंतकाल संख्या 398 दिनाँक 14.05.2022 को पारित आदेश से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से श्री योगेश्वर प्रकाश वकील ने वकालातनामा पेश किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मिन अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष एक राजस्व वाद इस्तकरारहक व तकसीम आराजी हुक्मईम्तनाईदवामी बाबत आराजी खसरा नम्बर 458, 506, 517, 585, 586, 688, 704, 705 वाके ग्राम माजराकाठ तहसील नीमराना पेश कर आराजी मुतनाजा में से अपना 1/2 हिस्सा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी तकासमा किये जाने की डिक्री चाही। दौराने दावा वादी/अपीलान्ट एवं प्रतिवादीगण/रेस्पाडेन्ट्स के मध्य राजीनामा हो गया जिस राजीनामा के अनुसार तय पाया कि वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 458 रकबा 0.05 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा यानि 2.5 ऐयर तरफ पूर्व का व खसरा नम्बर 517 रकबा 0.26 हैक्टेयर के 1/2 हिस्सा यानि 13 ऐयर तरफ उत्तर का व खसरा नम्बर 585 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 586 रकबा 0.05 हैक्टेयर के 1/2 हिस्सा यानी 14.5 ऐयर भूमि तरफ पूर्व का व खसरा नम्बर 706 रकबा 0.97 हैक्टेयर में से 05 ऐयर भूमि तरफ पश्चिम में खसरा नम्बर 704 से लगती हुई तथा खसरा नम्बर 704 रकबा 0.88 हैक्टेयर, 506 रकबा 0.45 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 1.68 हैक्टेयर भूमि वादी शादीराम के हिस्से में रहेगी। खसरा नम्बर 458 रकबा 0.05 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा यानि 2.5 ऐयर तरफ पश्चिम का व खसरा नम्बर 517 रकबा 0.26 हैक्टेयर के 1/2 हिस्सा यानि 13 ऐयर तरफ दक्षिण का व खसरा नम्बर 585 रकबा 0.24 हैक्टेयर 586 रकबा

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

0.05 हैक्टेयर के 1/2 हिस्सा यानि 14.5 ऐयर भूमि तरफ पश्चिम का व खसरा नम्बर 705 रकबा 0.97 हैक्टेयर में से 0.92 हैक्टेयर भूमि तरफ पूर्व का तथा खसरा नम्बर 688 रकबा 0.46 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 168 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 धर्मपाल व जीतराम के हिस्से में रहेगी। इसी राजीनामा के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से वाद डिक्री करने का निवेदन किया। तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 02.03.2021 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा डिक्री पारित की गई। उक्त डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार नीमराना द्वारा डिक्री/राजीनामा के अनुरूप नामांतकरण स्वीकार नहीं किया गया है।

अंत में वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नीमराना द्वारा स्वीकार इंतकाल नम्बर 398 दिनाँक 14.05.2022 वाके ग्राम माजराकाठ तहसील नीमराना को निरस्त किया जावें।

वकील रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त इंतकाल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा पारित डिक्री की पालना में तहसीलदार नीमराना द्वारा स्वीकार किया गया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रश्नागत नामांतकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा पारित डिक्री की पालना में दर्ज किया गया है। तहत के द्वारा विधिवत न्यायालय आदेश की पालना में दर्ज नामांतकरण के विरूद्ध अपील स्वीकार योग्य नही बनती है। इस तरह तहसीलदार नीमराना के द्वारा दर्ज नामान्तकरण में कोई त्रुटि साबित नही होती है, इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट की सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.)
सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़